कार्यालय कलेक्टर(आबकारी),जिला–सतना (म०प्र०)

E-Mail ID : deo. satna@mpexcise.org

–: विज्ञप्ति:–

दिनांक :– 30/01/2017

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2017–18

—00—

सर्व–साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सतना जिले की समस्त 45 देशी मदिरा एवं 26 विदेशी मदिरा फुटकर बिकी की दुकानें जो 23 एकल समूह में रखी गई है, वर्ष 2017–18 के लिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2017 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निष्पादन प्रथमतः वर्ष 2016–17 के मदिरा दुकानों/एकल समूह के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियो से वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2017 तक 04 समूहों में आवेदन पत्र प्राप्त होने पश्चात शेष 19 मदिरा दुकानों/एकल समहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदको से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र दिनांक 01 फरवरी 2017 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 08 फरवरी, 2017 के दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित किये जायेगे। ऐसे आवेदन पत्रों को लॉटरी आवेदन पत्र कहा जायेगा। नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदको से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए, समग्र में यदि जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/ एकल समूहों पर वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य में निहित राजस्व के 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन प्राप्त होते है तो, ऐसी समस्त आवेदित मदिरा दुकानो /एकल समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला समिति द्वारा, पात्र आवेदको के हित में किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रही मदिरा दुकानों /एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2017–18 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ई–टेण्डर दिनांक 14 फरवरी, 2017 प्रातः 10:30 बजे से 22 फरवरी, 2017 दोपहर 03:00 बजे तक आमंत्रित कर, किया जावेगा। निष्पादन की प्रकिया की कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों, विकय ज्ञापन, ड्यूटी की दर, देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वर्तमान वर्ष के 09 माह में खपत तथा मदिरा दुकानों के अवस्थान संबंधित परिक्षेत्र आदि की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी, सतना के कार्यालय से किसी भी दिन (अवकाश के दिनो सहित) कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :– 19 मदिरा दुकानों/एकल समूहों का
विकय पत्र वर्ष 2017–18

कलेक्टर,
जिला–सतना (म०प्र०)